महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास

◈◈ आवासीय व्यवस्था हेतु नियम ◈◈

1 जून, 2016 से लागू

विदेशी विद्यार्थियों के लिए परिसर में फादर कामिल बुल्के अंतरराष्ट्रीय छात्रावास है। इस भवन के समस्त कक्ष मूलतः छात्रावास के रूप में प्रयोग में लाए जाएँगे किंतु

विदेशी विद्यार्थियों को आबंटन के उपरांत कक्ष रिक्त होने पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों/शोधार्थियों के अभिभावकों, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों तथा उनके परिजनों को निम्नांकित नियम एवं निर्धारित दरों पर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं :

1. छात्रावास के कक्ष संख्या–1 से 14 अतिथि गृह के रूप में रखे जाएँगे। इनकी देख–रेख तथा आबंटन आदि की पूर्ण व्यवस्था प्रभारी, नागार्जुन अतिथि गृह द्वारा की जाएगी।
2. कक्ष संख्या–1 अति विशिष्ट व्यक्ति हेतु आरक्षित रखा जाएगा।
3. कक्ष संख्या–2 से 7 तक विशिष्ट कक्ष विश्वविद्यालय के आवासीय लेखक तथा विशिष्ट अतिथियों को कुलसचिव के निर्देश पर दिए जाएँगे तथा उनके बाद न्यूनतम ग्रेड–पे रु.7,600/– एवं समकक्ष स्थायी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएँगे।
4. कक्ष संख्या–8 से 14 विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर अधिकारियों/कर्मियों अथवा उनके परिजनों तथा विद्यार्थियों के अभिभावकों को उपलब्ध करवाए जाएँगे।
5. इसमें प्राथमिकता नवनियुक्त कर्मियों, दिव्यांग, महिलाओं तथा कर्मी की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी।
6. यह व्यवस्था एक सुविधा के रूप में होगी जिसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में कभी भी खाली कराया जा सकेगा।
7. बाह्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों/अतिथियों को कक्ष सामान्यतः उपलब्ध नहीं करवाए जाएँगे।
8. कक्ष संख्या–15 से 32 तक कुल 18 कक्ष सदैव विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कक्ष संख्या–15 से 23 को विदेशी छात्रों और संख्या–24 से 32 को विदेशी छात्राओं के लिए कक्ष आबंटन के समय ध्यान में रखा रखा जाएगा।
9. विदेशी विद्यार्थियों की आवासीय व्यवस्था, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की सुविधा संबंधित छात्रावास अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
10. विदेशी विद्यार्थियों के लिए कक्ष संख्या–1 से 14 की आवश्यकता होने पर छात्रावास अधीक्षक द्वारा प्रभारी, नागार्जुन अतिथि गृह को यथासंभव 72 घंटे पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा।

11. पहले 3 दिनों के लिए कक्ष संख्या–1 से 14 तक के आबंटन का अधिकार अतिथि गृह के प्रभारी को रहेगा। तत्पश्चात् आवेदक के लिखित आग्रह पर कुलसचिव का अनुमोदन आवश्यक होगा।

12. छात्रावास में ठहरे कर्मियों अथवा अतिथियों के भोजनादि की व्यवस्था नागार्जुन अतिथि गृह के भोजनालय में उनके आग्रह पर की जा सकती है। इसके लिए संबंधित नियमों का अनुपालन एवं पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

13. समय–समय पर जारी आदेशों को ध्यान में रखते हुए कक्ष की श्रेणी तथा उसमें बिजली, पानी, साफ–सफाई, उपकरण तथा फर्नीचर आदि उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में कक्ष संख्या–1 से 14 के लिए निम्नानुसार दरें निर्धारित की जाती हैं:

कक्ष विवरण	दैनिक किराया (भारतीयों के लिए)	दैनिक किराया (विदेशियों के लिए)
एकल कक्ष (सामान्य) Single Room (Non-AC)	₹ 200	.....
द्वय कक्ष (सामान्य) Double Room (Non-AC)	₹ 300	.....
एकल कक्ष (वातानुकूलित) Single Room (Air-conditioned)	₹ 300	$ 15 USD
द्वय कक्ष (एक वाता. एवं एक सामान्य) Double Room (One AC and One Non AC)	₹ 450	.....
विशिष्ट कक्ष (वातानुकूलित द्वय कक्ष) Double Room (Air-conditioned)	₹ 500	$ 20 USD
अति विशिष्ट कक्ष (वाता. द्वय कक्ष) Suite (Double AC Room No. 1)	₹ 600	$ 30 USD

14. सिंगल रूम में एक तथा डबल रूम में अधिकतम दो व्यक्ति रुक सकेंगे।

15. अतिथि के आग्रह पर कक्ष में जगह की उपलब्धतानुसार अलग से एक चारपाई की व्यवस्था की जा सकती है किंतु इसके लिए भारतीयों से अलग से रु.100/– प्रतिदिन तथा विदेशियों से $ 05 USD की दर से किराया देय होगा।

16. किसी अन्य व्यक्ति को कक्ष में ठहराने से पूर्व केयरटेकर को सूचित करना अनिवार्य होगा।

17. छात्रावास के अतिथियों पर नागार्जुन अतिथि गृह हेतु बनाए गए सामान्य नियम यथावत लागू रहेंगे।

18. उपर्युक्त नियमों में किसी भी तरह के परिवर्तन अथवा उसे निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के कुलपति के पास सुरक्षित रहेगा और उनका निर्णय सर्वमान्य होगा।

➲ *विश्वविद्यालय की संपत्ति की सुरक्षा हमारा दायित्व है। संबंधित सभी से उपर्युक्त नियमों का अनुपालन अपेक्षित है।*

दिनांक : 27.05.2016

कुलसचिव
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)